

विक्रय-पत्र

बैनामा :- 3,00,000/- रुपये

बाजारी मालियत :- 3,07,350/- रुपये

स्टाम्प शुल्क :- 30,000/- रुपये

इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :- नहीं

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :- नहीं

स्टाम्प शीटों की संख्या :- 9 फिले

विक्रित सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल :- 0-0683 हेक्टेयर

वार्षिक लगान :- 1/- रुपये 70 पैसे

अर्थात् 683 वर्ग मीटर

विक्रित सम्पत्ति का विवरण :- कृषि भूमि

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक, और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) :- नहीं

स्थित ग्राम :- पुढाना मुस्तकम परगना भगवानपुर तहसील रुकी जिला हरिद्वार

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा जन जाति से संबंधित है अथवा नहीं :- नहीं

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :- भूमिदारी

भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं :- नहीं

चकयन्दी चल रही है अथवा नहीं :- चल रही है

कृषि भूमि की स्थिति में :- सिंचित

(बाग, सिंचित / असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या व कालम संख्या :- 9 क्रमांक -3 सर्किल रेट :- 450/- रुपये प्रति वर्गमीटर

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :- अन्दर

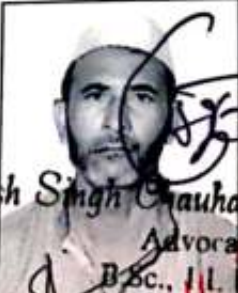
मुख्य सड़क से दूरी (50 मी अथवा 50 मी से ज्यादा) :- 50 मीटर से अधिक

क्या क्रेता उत्तरांचल का कृषक है अथवा नहीं :- अपल सम्पत्ति है

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणित कर्ता :- जगदीश सिंह चौहान रजिस्ट्रार रुकी

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :- मुस्तकीम पुत्र श्री नाजर निवासी ग्राम पुढाना

परगना भगवानपुर तहसील रुकी जिला हरिद्वार।


Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., I.L.B.
Regn. No. 4367
Civil Court, Roorkee


Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., I.L.B.
Regn. No. 4367
Civil Court, Roorkee

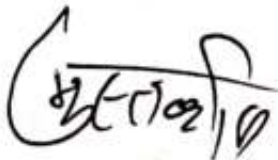

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., I.L.B.
Regn. No. 4367
Civil Court, Roorkee

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तांतरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ब्रह्म आदि महकमें 'बैंक, सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन युक्ति तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मुखलिखित 3,00,000/- तीन लाख

रुपये मे हाथ श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री पतर रैन जैन निवासी 490 पुरानी
तहसील रऊकी व पपन कुमार गोयल पुत्र श्री डी० पी० गोयल निवासी 13
ति पिल लाइन रऊकी परगनाय तहसीलरऊकी जिला हरिद्वार ।

को विक्रय व हस्तांतरित कर दी है तथा कुल मूल्य राशि की प्राप्ति को ध्याना निम्नलिखित है तत्पश्चात् इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रहे और न भविष्य में होगा। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी व काई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है अब प्रतिज्ञ वचन देते और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व ब्रयोंग में लावें और जो चाहें सो करें अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद-विवाद करने पर निम्न सम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेंगे इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नहीं होगा नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जोकि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आमद होता है का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अतः यह विक्रेय-पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।
विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है। जोत चक्कन्दी आकारपत्र 23 के अनुसार चक स० 121 का
प्रथम चक ,प्रस्तावित गाटानम्बरान 290 रकबा 0-0020 हेक्टेयर व 291 मि०
रकबा 0-1598 हेक्टेयर रकबाई कुल 0-1618 हेक्टेयर भूमि मे से रकबाई 0-0683









499502

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★ ★ ★ ★ ★
कृषि
कोट संख्या 3500
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
xx 2007 - 2008 ++

हेक्टेयर भूमि अर्थात् 683 वर्ग मीटर लगानी 1/- सय 70 पैसे सालाना

जानिव पूरब स्थित ग्राम पृढाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील -

(Signature)

PC Jan

(Signature)



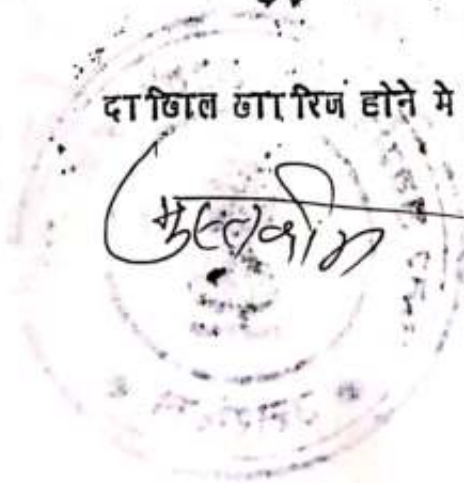
उत्तरांचल UTTARANCHAL

499441

★ ★ ★ कोषाधिकारी ★
एडको ★
कोड संख्या 5500 ★
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
× × 2007 - 2008 + +

रुकी जिला हरिद्वार, पिब्य की है । विक्रेता, क्रेता के नाम

दाखिल गारिज होने मे पूरा पूरा सहयोग करेगा । विक्रीत





499455

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी
रहकी
कोड संख्या 5500
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
xx 2007 - 2008 ++

॥ 5 ॥

भूमि कागज की भूमि है परन्तु विक्रीत रक्का 1000 वर्ग मीटर से कम होने के कारण आबादी का रेट 450/- सप्तेप्रतिवर्ग मीटर की दर से स्टाम्प

मुक्तिजी
Rajtan
Mof



A 308928

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★ ★ अधिकारी ★

रकबा

कॉट संख्या 5500

25 JAN 2007

XXXXXXXXXX

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

xx : 007 - 2008 ++

॥ 6॥

अदा किया है जबकि कृषि भूमि का रेट 6,50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है

मय जुमला एक एक दरप्रकार सहित

भुक्तिकी

15 Jan

11/01/07



चल UTTARANCHAL

926942



तमसील वसूल याबी जसेमन :- कुल मूल्यराशि मे से मु० 1,00,000/-रमये
 क्रेता से पेशगी प्राप्त करलिये है और मु० 2,00,000/-रमये क्रेता से नकद
 प्राप्त करलिये है अब कोई मूल्यराशि शेषा नही रही हैऔर न ही भविष्य
 मे होगी ।

विक्रेता के पाँचों अँगुलियो के निशान :-



(हस्ताक्षर)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तरांचल UTTARANCHAL

***कोषाधिकारी	☆
रहस्यी	☆
कोड संख्या 5500	☆
0 JUL 2007	
B	
X	
जिला हजिअर (1/2/2)	
x x 2007 - 2008 + +	

प्रेता के पाँचों अंगुलियों के निशान :-

RC Jani

प्रेता के पाँचों अंगुलियों के निशान :-

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

रु. 100



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ल UTTARANCHAL

926944

★ ★ ★ कोषाधिकारी ★
रकमी
कोड संख्या 6500
20 JUL 2007
जिला हरिद्वार
x x 2007 - 2008 + +

हस्ताक्षर

PC

पुग

गवाह :-

हसतम

(हम कोस्ताम 30 मीटर मोरम
कि. शालिपर
पम मपानपु)

तारीख:- 30-7-2007 ई0

फोटो प्रमाणित व

डाफतीडबाई :- जगदीश सिंह चौहान रकुवोकेरुकी

टाइप कर्ता :- धूमतिहरुकी

Signature

Signature

गवाह :-
मो. 0314 8544 72 मरान
गण्डेडा उल्लुपु
नारायणपु

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी, रुड़की।

वाद सं०- 221 / 2008

अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०
मौजा-पुहाना मुस्तहकम
परगना-भगवानपुर
तह०-रुड़की जिला-हरिद्वार।

प्रेमचन्द जैन आदि



बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतार रीन जैन व श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुड़की जगपद हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12 मई, 2008 के आधार पर योजित हुआ। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मौजा ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से रकबई 0.0683 है० भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, रुड़की से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, रुड़की द्वारा अपनी जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 14-05-2008 को निर्धारित प्रारूप नियम-135 पर आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मौजा-पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से रकबई 0.0683 है० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। मौके पर कृषि कार्य जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी शामिल है, के प्रयोग में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से कुल रकबई 0.0683 है० भूमि पर मौके पर उद्योग हेतु टीनशैड डालने की कार्यवाही हो रही है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूमि को ज०वि० अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार, रुड़की की आख्या/संस्तुति दिनांक 14-05-2008 के आधार पर मौजा-पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से कुल रकबई 0.0683 है० भूमि को ज०वि० अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी होंगे। पत्रावली याद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित होंगे।

दिनांक- 13-05-2008

Copied by :

Compared by :

Examined by :

(हरीश चन्द्र कोण्डपाल)

उप जिलाधिकारी/

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
रुड़की।

सत्य प्रविष्टि

रेकर्ड

of Application- 290
of Application- 19-5-08
of Notice- 19-5-08
of Issue- 19-5-08

Factory
(C.B.B.)

सहायक चकबन्दी

(142)

613 Hek



कृषालये बन्धोधस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की,
अनुमति धारा-5 ग.जो. च.अ.
प्रार्थना पत्र सं०-36

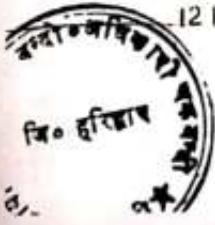
प्रेम चन्द जैन आदि बन्धुग सरकार
ग्राम पुढाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार,
अनुमति-पत्र

श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतुरसैन जैन व कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन निवासी
गण 490 पुरानी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं०-121 के प्रस्तावित
गाटा सं०-290 गि. 0.0020 हे०, 29 गि. 0.1598 हे० में से रकबर्द 0.083 हे०
भूमि पर कृषिक कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ / पुख्ता निमार्ण आबादी निमार्ण
औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जाये।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त
की गयी। स.च.अ. ने आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि के सह-
जातेदार स्वामी है तथा अपने भाग की भूमि पर का विज है। इस भूमि के सम्बन्ध में
किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। जिसके सम्बन्ध में शपथ
पत्र सलग्न है। यह भूमि जो.च.अ.-21 में भी सुरक्षित नहीं की गयी है। स.च.अ.
द्वारा अपनी आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है कि चक सं०-121 के सम्बन्ध में -
प्रार्थीगण ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई
वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ग्राम सभा की ओर से प्रधान ग्राम
सभा ने भी अपनी सहमति दी है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि
प्रार्थीगण को उक्त प्रयोजनार्थ अनुमति दिये जाने से ग्राम सभा को कोई हानि नहीं है
इसे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत सहायक चकबन्दी अधिकारी की
आख्या, प्रधान ग्राम सभा एवं उपरोक्त चक के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलो-
कन किया। ग्राम सभा की ओर से प्रधान ग्राम सभा ने सहमति प्रस्तुत की है। प्रश्न -
यत भूमि जोत चकबन्दी आकार-पत्र-21 में भी सुरक्षित नहीं किया गया है। इसलिये
उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ / पुख्ता निमार्ण
आबादी निमार्ण औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति दी जा सकती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतुरसैन -
जैन व श्रीमति कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है -
ग्राम पुढाना मुस्तहकम, परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं०-
121 के प्रस्तावित गाटा सं०-290 गि. 0.0020 हे०, व 291 गि. 0.1598 हे० में से



P.T-0

001/12

Будунок ДР

20
 80-70-10
 2081.5
 20-1

80-40-711185

8-11-51
11-11-51
11-11-51

1. The 1st party will be the defendant in the lawsuit.

1. Heuristics

புதுச்சேரி 06 தேதிக்கு இரவு பத்து மணிக்கு பத்து மணிக்கு

1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

የገንዘብ ምርት በሰው ኃይል የተከናወነበት ዓመት 2017-2018 ዓ.ም. ሲያጠናቅቅ የገንዘብ ምርት አጠቃላይ መጠኑ 69.5 ቢሊዮን ብር ሆኖ ቀዳሚው ዓመት ሲነፃፅር 1.5% ብቻ እንደጨመረ ይታያል፡፡

2008-09-01

-2-

Scanned with CamScanner

$$\frac{as-L}{h}$$

25

खा

125

३